फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती पुष्पादेवी **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 251'क' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 17/22**

जीसीएमएस : 2022/73

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पत्रांक 500 दिनांक 19.05.2022 को पेश की जो शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार की बहस पूर्व में सुनी गई। हमने अधिवक्ता प्रार्थीया व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 1055 किता 1 रकबा 0.4313 हेक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1202/1046 रकबा 2.0963 हेक्टेयर में से 50 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया गया था। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीयां श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा अपनी सहखातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिए आराजी नम्बर 1202/1046 से 50 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता कृषि भूमि में से ही दिये जाने का प्रावधान हैं। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता बिलानाम गैर काबिज काश्त दर्ज होकर किस्म सार्वजनिक प्रयोनार्थ हेतु आरक्षित हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत् केवल कृषि भूमि में से ही खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता दिया जा सकता हैं। प्रार्थीयां द्वारा चाहा गया रास्ता खातेदारी भूमि में से नहीं होकर उक्त भूमि की किस्म सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि अंकित हैं। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **:: आदेश ::** परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेटेंबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:14 IST
Reason: SelfAttested